



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(भ्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

फा.सं.- रा.भा./16/2023-राजभाषा

दिनांक : 09/10/2024

परिपत्र

विषय: अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में सरकारी कामकाज करने के लिए आशुलिपिकों तथा टंककों को हिंदी प्रोत्साहन भत्ता।

उपर्युक्त विषयांतर्गत मुख्यालय के पत्र क्रमांक ए-49/16/4/2012-रा.भा. दिनांक 31/03/2023 के अनुसरण में सूचित किया जाता है कि जो अंग्रेजी आशुलिपिक/टंकक इस योजना में भाग लेना चाहते हैं, वे दोनों भाषाओं में कार्य शुरू करने से प्रारंभिक 6 महीनों के लिए अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रतिमाह, उसके पश्चात प्रत्येक 3 माह में एक बार राजभाषा शाखा में भेजें। तिमाही की समाप्ति पर अपेक्षित प्रमाण पत्र अग्रेषण पत्र के साथ संलग्न कर राजभाषा शाखा को भिजवा दें। अनुरोध है कि मुख्यालय द्वारा निर्धारित प्रमाण-पत्र का ही उपयोग करें।

संलग्न: अपेक्षित प्रमाण पत्र का प्रपत्र

(डॉ. स्वीटी यादव)
सहायक निदेशक(रा.भा.)

1. उप क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम की सभी शाखाएँ।
2. उप क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम के अंतर्गत सभी शाखा कार्यालय।

उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम/Sub-Regional Office Gurugram

प्लॉट नं. 47, सेक्टर-34, गुरुग्राम, हरियाणा-122 001/Plot No. 47, Sector-34, Gurugram, Haryana - 122 001
Phone No.: 0124-2370270 | E-mail: sro-gurgaon@esic.nic.in | Website: www.esic.gov.in